भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2494

गुरूवार, 10 अगस्त 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार

2494. डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): संविधान के (एक सौ तीसरे संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से, भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है। तदनुसार, सरकार द्वारा जनवरी, 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 10% का आरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित देश में समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। कुछ योजनाएं अनुबंध में दी गई हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 10.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए योजनावार आवंटित निधि और व्यय (करोड़ रुपये में)			
क्र.स.	**कार्यक्रम/योजनाएँ**	**आवंटित निधि***	**व्यय**
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3815.87	4010.16
2	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग	30.00	11.97
3	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	300.00	216.52
4	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए मशीनरी को मजबूत करना	600.00	593.39
5	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	30.00	56.40
6	अनुसूचित जाति के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	125.00	55.81
7	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	27.00	26.81
8	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	15.86
9	अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	300.00	387.00
10	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	125.00	119.00
11	मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की स्व-रोज़गार योजना	30.00	16.60
12	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति	30.00	33.09
13	अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा	50.00	52.88
14	अनुसूचित जाति के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	600.00	569.52
15	विस्वास योजना एससी घटक	32.13	10.00
16	अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष	40.00	30.00
17	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	5.00	2.78
18	सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	3.00
19	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	150.00	130.31
20	नशीली दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	180.00	149.43
21	ओबीसीएस को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	175.00	165.85
22	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता	50.00	47.29
23	ओबीसी के लिए लड़कों और लड़कियों के छात्रावास	35.00	31.59
24	ओबीसी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1100.00	1159.59
25	डी-नोटिफाइड एवं घुमंतू जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना	10.00	9.00
26	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	25.00	25.00
27	ओबीसी के विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	35.00	32.61
28	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	45.00	33.00
29	विस्वास योजना ओबीसी घटक	32.00	10.00
30	पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष	10.00	0.00

***संशोधित अनुमान के आधार पर**